लघु जल संसाधन विभाग
बिहार, पटना
13 AUG 2025
प्रधान सचिव कोषांग

बिहार सरकार
पथ निर्माण विभाग
आदेश

संवेदक बालकृष्ण भलोटिया द्वारा वर्तमान अपील आवेदन, विभागीय ज्ञापांक–748(E), दिनांक–30.01.2025 के द्वारा इनके निबंधन संख्या–1230031 को दस वर्षों के लिए कालीकृत किए जाने के विरूद्ध बिहार ठीकेदारी निबंधन नियमावली 2007, के कंडिका–11(क)(ii) के आलोक में दी गई है।

संवेदक के अपील अभ्यावेदन पर तत्कालीन अपर मुख्य सचिव द्वारा विभिन्न तिथियों पर सुनवाई की गई, परन्तु कतिपय कारणों से अंतिम आदेश पारित नहीं किया जा सका। यह संचिका मेरे समक्ष दिनांक–04.07.2025 को उपस्थापित की गई। संवेदक के अपील आवेदन पर सुनवाई की तिथि दिनांक–18.07.2025 को निर्धारित की गई।

दिनांक–18.07.2025 को संवेदक के अपील की सुनवाई विभागीय पदाधिकारियों की उपस्थिति में की गई। संवेदक को कालीकृत किए जाने के आदेश में अंकित है कि संवेदक द्वारा कराए गए कार्य की जाँच, उड़नदस्ता प्रमंडल के द्वारा कराई गई एवं जाँच प्रतिवेदन निदेशक, प्रशिक्षण, परीक्षण एवं शोध संस्थान, पटना के पत्रांक–4114 दिनांक–13.09.2024 द्वारा उपलब्ध कराया गया है। इसी जाँच प्रतिवेदन को संलग्न कर संवेदक से दिनांक–15.01.2025 को कारण पृच्छा किया गया।

विषयांकित योजना से संबंधित विवरणी निम्नवत् है:–

1. (1) प्रशासनिक स्वीकृति की राशि –₹5,98,39,000.00 (2) एकरारनामा की राशि –₹5,22,22,464.00 (3) कार्य प्रारम्भ की तिथि –05.07.2024 (4) कार्य समाप्ति की तिथि –21.07.2024 (5) अनुरक्षण (Maintenance) सहित कार्य समाप्ति की तिथि –21.08.2024
2. निदेशक, प्रशिक्षण, परीक्षण एवं शोध संस्थान, पटना, पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना के पत्रांक–4114(अनु०) दिनांक–13.09.2024 द्वारा समर्पित जाँच प्रतिवेदन के मुख्य बिन्दु निम्न है:–

(i) MB No.-1984 के पृष्ठ 8–9 पर Embankment Construction (Earthwork) का Detailed Measurement को Record कर उसके कुल Quantity का 55% Quantity लिया गया है।

इस तरह से Measurement लेने का कोई मान्य आधार नहीं होता है।

(ii) उड़नदस्ता प्रमंडल संख्या–03 द्वारा प्रतिवेदित किया गया है कि MB No.-1988 के Page-16 में दिये गये Abstract के अनुसार 18494.459 m^3 गंगा बालू का उपयोग किया गया है तथा इसके विरूद्ध 4515.33 m^3 गंगा बालू का Verified Challan उपलब्ध कराया गया है।

उनके द्वारा यह भी प्रतिवेदित किया गया है कि पथ प्रमंडल, बाँका द्वारा खान एवं भू–तत्व विभाग, बिहार के पत्रांक–4587/एम० पटना, दिनांक–11.09.2023–सह–पथ निर्माण विभाग, बिहार के ज्ञापांक–933(E)we दिनांक–19.02.2024 के आलोक में मालिकाना फीस के अतिरिक्त निर्धारित दर पर Royalty वसूल कर ली जाएगी। उनके द्वारा यह भी प्रतिवेदित किया गया है कि कार्य का भुगतान नहीं किया गया है।

उड़नदस्ता प्रमंडल संख्या–03 द्वारा समर्पित MB No.-1988 के पृष्ठ–22 पर Material Statement के अनुसार Ganga Sand की मात्रा 18494.55 m^3, Sand Bag में प्रयुक्त Sand की मात्रा 545.75 m^3 है। इसके अतिरिक्त विभिन्न कार्य मदों में प्रयुक्त Stone Boulder, Coarse Sand, Aggregate आदि है।

खान एवं भू–तत्व विभाग के उपर्युक्त पत्र के अनुसार विपत्रों के साथ खनिज क्रय के साक्ष्य स्वरूप ई–चालान संलग्न नहीं किये जाने की स्थिति में संवेदकों के विपत्र से मालिकाना फीस के अतिरिक्त निर्धारित दर पर रॉयल्टी की वसूली भी कार्य विभागों के द्वारा की जानी है। समय–समय पर नियमाधीन अन्य कार्रवाई हेतु ऐसे संवेदकों की पूर्ण सूची एवं चालान सत्यापन से संबंधित सूची संबंधित कार्य विभागों द्वारा द्वारा जिला खनन कार्यालय को उपलब्ध कराना है। साथ ही कार्यपालक अभियंता को पत्र में दिये गये प्रपत्र मे वांछित सूचनाएँ जिला खनन पदाधिकारी को प्रतिमाह उपलब्ध करानी है।

जाँच प्रतिवेदन के साथ उक्त प्रतिवेदन समर्पित नहीं किया गया है।

उपर्युक्त के आलोक में कार्यपालक अभियंता, पथ प्रमंडल, बाँका से उक्त प्रतिवेदन प्राप्त कर अग्रत्तर कार्रवाई हेतु विभागीय स्तर पर निर्णय लेने की अनुशंसा की जाती है।

अभियंता प्रमुख के द्वारा दिनांक–30.01.2025 को निर्गत कालीकरण आदेश में अंकित है कि बिहार सरकार द्वारा खनिज पदार्थों का गैर–अधिकारिक उपयोग एवं राजस्व की क्षति को बचाने हेतु खनन विभाग द्वारा दिशा निर्गत है। प्राप्त जाँच प्रतिवेदन से स्पष्ट है कि संवेदक द्वारा खनिज का अवैध खनन कर राजस्व में भारी क्षति करने का प्रयास किया गया है। कालीकरण आदेश में यह भी अंकित है कि कार्य में प्रयुक्त सामग्रियों को निर्धारित विशिष्टयों के साथ उपलब्ध कराना संवेदक का ही कार्य है। जाँच प्रतिवेदन से स्पष्ट है कि एक बड़ी मात्रा का सत्यापित चालान संवेदक द्वारा उपलब्ध नहीं कराया गया है। संवेदक द्वारा अवैध प्रयुक्त खनिज के उपयोग किए जाने के संबंध में अपना स्पष्टीकरण तीन स्मार के बावजूद भी समर्पित नहीं किया गया है।

उक्त वर्णित परिपेक्ष्य में एकरारनामा एवं विनिर्देश के अनुसार कार्य निष्पादन में चूक हेतु बिहार ठिकेदार निबंधन नियमावली, 2007 के कंडिका–11(क)(iii) एवं विभागीय

कार्यालय आदेश संख्या–154 सहपठित ज्ञापांक–5403 (एस०) दिनांक–18.06.2015 की कंडिका–8 उपकंडिका–1(d) के आलोक में संवेदक श्री बालकृष्ण भलोटिया कन्सन्ट्रक्शन प्रा०, लि०, जमुई बाजार, जमुई के निबंधन सं०–1230031, दिनांक–23.03.2023 को दस वर्षों के लिए कालीकृत किया गया है।

उपरोक्त के संबंध में संवेदक ने अपने स्पष्टीकरण में अंकित किया है कि

(क) संवेदक को आवंटित कार्य के प्रथम चालू विपत्र का भुगतान उन्हें किया गया है एवं देय Royalty की राशि उनके विपत्र से कटौती की गई है।

(ख) खान एवं भूतत्व विभाग का पत्रांक 4418 दिनांक–19.10.2024 कार्य पूर्ण होने के पश्चात निर्गत हुआ है।

(ग) उनके विरूद्ध उड़नदस्ता द्वारा की गई जाँच में कुछ भी इंगित नहीं है।

(घ) संवेदक का यह भी कहना है कि उनके विरूद्ध निलंबन आदेश में जो बातें उल्लेखित है उसे कारण पृच्छा में अंकित नहीं किया गया है।

संवेदक ने दिनांक–18.07.2025 को सुनवाई के दौरान उन्होंने दलील दी है कि उड़नदस्ता जाँच प्रतिवेदन में उनके विरूद्ध कुछ भी अंकित नहीं है। उनके चालू विपत्र से Royalty की राशि की कटौती कर ली गई है। उनका यह भी कहना है कि Royalty की जो भी राशि देय है उनके विपत्र से कटौती कर ली जाय। पुलिस या खनन विभाग द्वारा उनके विरूद्ध अवैध खनन के लिए कोई कार्रवाई नहीं की गई है। उनका यह भी कहना है कि उनके द्वारा उपलब्ध कराए गए कागजातों को संज्ञान में बिना लिए हुए कालीकरण का आदेश पारित किया गया है।

अंत में उनका कहना है कि चालू विपत्र से Royalty की राशि की कटौती कर ली गई है एवं जो भी राशि Royalty मद में देय होगा, उसकी कटौती उनके विपत्र से कर ली जाए तथा उनके निबंधन के कालीकरण आदेश को निरस्त कर दिया जाए।

3. उल्लेखनीय है कि:–

(i) खान एवं भूतत्व विभाग, बिहार सरकार के पत्रांक–4587 दिनांक–11.09.2023 के आलोक में Royalty की कटौती की जाती है।

(ii) पुनः खान एवं भूतत्व विभाग द्वारा पत्रांक–4418(एम०) दिनांक–19.10.2024 द्वारा निर्गत दिशा निर्देश के आलोक में व्यवहृत लघु खनिज के परिवहन चालान/परमिट का सत्यापन करने के उपरान्त ही संवेदक को विपत्र का भुगतान किया जाता है।

प्रेष्य पत्र संलग्न

4. बिहार ठीकेदारी निबंधन नियमावली के पत्रांक–5737(S) दिनांक–07.05.2007 के कंडिका–11(क)(ii) में उल्लेख है कि "एकरारनामा एवं विहित्त विनिर्देश के अनुसार कार्य निष्पादन में चूक।"

संचिका में उपलब्ध कागजातों से ज्ञात होता है कि संवेदक के विरूद्ध बिहार ठीकेदारी निबंधन नियमावली, 2007 के तहत कार्रवाई दिनांक–15.01.2025 से प्रारंभ करते हुए निदेशक, प्रशिक्षण, परीक्षण एवं शोध संस्थान, पटना के पत्रांक–4114 दिनांक–13.09.2024 को संलग्न करते हुए स्पष्टीकरण की माँग की गई। निदेशक, प्रशिक्षण, परीक्षण एवं शोध संस्थान, पटना के उक्त पत्र में संवेदक के विरूद्ध कुछ भी स्पष्ट रूप से अंकित प्रतीत नहीं होता है। प्रतिवेदन में अंकित है कि कार्यपालक अभियंता के द्वारा प्रत्येक माह जिला खनन कार्यालय को प्रतिवेदन उपलब्ध कराना है। जाँच प्रतिवेदन में उल्लिखित है कि खान एवं भूतत्व विभाग के पत्रांक–4587 दिनांक–11.09.2023 के आलोक में कार्यपालक अभियंता के द्वारा कार्रवाई की गयी है। संवेदक के विरूद्ध सारी कार्रवाई उक्त जाँच प्रतिवेदन के आधार पर किया गया है।

उक्त तथ्यों से ज्ञात होता है कि संवेदक के विरूद्ध अभियंता प्रमुख के पत्रांक–357(E)we दिनांक–15.01.2025 द्वारा कोई स्पष्ट आरोप नहीं लगाया गया है एवं बिना स्पष्ट आरोप के बिहार ठीकेदारी निबंधन नियमावली, 2007 के तहत की गई कार्रवाई उचित नहीं है। निबंधन आदेश में अंकित संवेदक के विरूद्ध अवैध प्रयुक्त खनिज के उपयोग का आरोप इसलिए प्रमाणित नहीं होता है कि खान एवं भूतत्व विभाग के पत्रांक–4587 दिनांक–11.09.2023 के पालन किए जाने का उल्लेख है। खान एवं भूतत्व विभाग का पत्रांक–4418 दिनांक–19.10.2024 को निर्गत है एवं संवेदक को आवंटित कार्य दिनांक–21.08.2024 को पूर्ण हो चुका है। इस कारण खान एवं भूतत्व विभाग के इस पत्र में उल्लेखित प्रावधान संवेदक को आवंटित कार्य पर लागू नहीं माना जा सकता है।

यहाँ यह भी उल्लेखनीय है कि निबंधन नियमावली, 2007 के कंडिका–11(क)(ii) में उल्लेखित कदाचार संवेदक पर लागू नहीं होता है। संवेदक के द्वारा एकरारनामा में कोई चूक किया जाना प्रतिवेदित नहीं है।

उक्त तथ्यों के आलोक में स्पष्ट है कि संवेदक के विरूद्ध बिहार ठीकेदारी निबंधन नियमावली, 2007 के तहत की गई कार्रवाई नियमावली में निहित प्रावधानों के विपरीत एवं उक्त कार्रवाई को वैध नहीं ठहराया जा सकता है।

फलतः विभागीय पत्रांक–748(E), दिनांक–30.01.2025 द्वारा संवेदक बालकृष्ण भलोटिया कन्सन्ट्रक्शन प्रा०, लि०, जमुई बाजार, जमुई के निबंधन संख्या–1230031 को कालीकृत किए जाने के आदेश को निरस्त किया जाता है एवं अभियंता प्रमुख को निदेश दिया जाता है कि भविष्य में किसी संवेदक के विरूद्ध बिहार ठीकेदारी निबंधन नियमावली, 2007 के तहत कार्रवाई नियमावली में निहित प्रावधानों के अनुरूप की जाय।

ह0/–
(संदीप कुमार आर० पुडकलकट्टी)
सचिव।

ज्ञापांकः– प्र०–7/विविध–04–88/2024 /पटना, दिनांक–

प्रतिलिपिः– संवेदक बालकृष्ण भलोटिया कन्सन्ट्रक्शन प्रा०, लि०, जमुई बाजार, जमुई थाना के निकट, जमुई–811307, मोबाईल नं०–9771687921 (निबंधन सं०–1230031 दिनांक–23.03.2023), Email- balkrishna.bhalotia@gmail.com को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह0/–
(शैलेन्द्र कुमार)
अभियंता प्रमुख (का0प्र0),

ज्ञापांकः– **प्र०–7/विविध–04–88/2024 /पटना, दिनांक–**

प्रतिलिपिः– माननीय मंत्री, पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना के आप्त सचिव को सूचनार्थ समर्पित।

ह0/–
(शैलेन्द्र कुमार)
अभियंता प्रमुख (का0प्र0),

ज्ञापांकः– **प्र०–7/विविध–04–88/2024** 5261(E) **/पटना, दिनांक–** 8/08/2025

प्रतिलिपिः–अपर मुख्य सचिव/प्रधान सचिव/सचिव/पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना/भवन निर्माण विभाग/ग्रामीण कार्य विभाग/जल संसाधन विभाग/लघु जल संसाधन/लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग/ऊर्जा विभाग/नगर विकास एवं आवास विभाग, बिहार, पटना/पुलिस महानिदेशक–सह–अध्यक्ष–सह–प्रबंध निदेशक, बिहार पुलिस भवन निर्माण निगम, पटना/प्रबंध निदेशक, बिहारराज्य पुल निर्माण निगम लि० पटना/मुख्य महाप्रबंधक, बिहार स्टेट रोड डेवलपमेंट कॉरपोरेशन लि०, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

08.8.25
(शैलेन्द्र कुमार)
अभियंता प्रमुख (का0प्र0),

पत्रांक– 829 /पटना दिनांक– 21/08/2025

प्रतिलिपि–अभियंता प्रमुख, लघु जल संसाधन विभाग, पटना/सभी मुख्य अभियंता, लघु जल संसाधन विभाग/सभी अधीक्षण अभियंता (मु0), लघु जल संसाधन विभाग, पटना/सभी अधीक्षण अभियंता, लघु सिंचाई अंचल......./सभी कार्यपालक अभियंता, लघु सिंचाई प्रमंडल.......को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

21/8/25

मुख्य अभियंता
(योजना+अनुश्रवण+भूगर्भ),
लघु जल संसाधन विभाग, पटना

पत्रांक– 829 /पटना दिनांक– 21/08/2025

प्रतिलिपि–आई0टी0 मैनेजर, लघु जल संसाधन विभाग, पटना को बेवसाईट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित।

21/8/25

मुख्य अभियंता
(योजना+अनुश्रवण+भूगर्भ),
लघु जल संसाधन विभाग, पटना